FORM NO. 111

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मु0 रींगस (सीकर)

उनवान **जयनारायण** बनाम **रामादेवी वगै0**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र स्थगन** मुकदमा नं.131 सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहक जो इस हुक्म की ताम में जारी हुये
16.06.2025	प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम स्थगन पारित नही किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्वेश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम स्थगन बिन्दु प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र की प्रकृति एंव आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम स्थगन इस आश्य की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जरिये स्थगन से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम बाजियों की ढ़ाणी, पटवार हल्का ठिकरिया तहसील रींगस जिला सीकर राज. के भूमि. ख0न0 132 रकबा 0.59 है0 के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें ।** **उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एंव रास्ता खुलवानें व नवीन रास्ता चाहने के आदेश., विद्युत कनेक्शन व विद्युत लाईन डालने, न्यायालय में विचाराधीन राको–रोड़ा व अन्य राजकीय वसूली के प्रकरण में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नहीं होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.06 16:45:14 IST
Reason: SelfAttested

आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षिय सुनवायी के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत अन्तरिम स्थगन जारी की गयी है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी पर विस्तारित करनें से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एंवम अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थियों में यह अन्तरिम स्थगन पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.07.2025 को पेश करे।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस सीकर

15.07.25 तामील प्रार्थी हाजिर। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि० 05.08.25 को पेश हो।

25.07.25 प्रार्थी की ओर से श्रीमान अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] स्थगन किया [illegible] ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] निपटारा [illegible] तलब किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.06 16:45:14 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	इसी स्तर पर फैसल/खारीज किया जाकर बाद फैसला [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.06 16:45:14 IST
Reason: SelfAttested